

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

89

/2024-2025 दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री हरीश कुमार चन्द्रा, सहायक अध्यापक	08/1/2022	श्री देव दरबार आश्रम इण्टर कालेज, साण्डी, हरदोई।	कूँवर रंजीत सिंह इण्टर कालेज, नगरिया परीक्षित, बरेली	रिक्त पद के प्रति


सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 1460-69

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

  
(रामचैत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

50

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती नेहा गंगवार, सहायक अध्यापिका	22/4/2022	शहीद भगत सिंह इण्टर कालेज, बुडीना कला, मुजफ्फरनगर	महाराणा प्रताप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अहियापुर, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1470-79

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

51

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती निशा जौहरी, सहायक अध्यापिका	22/11/2021	चरथावल आर्य कन्या इण्टर कालेज, चरथावल, मुजफ्फरनगर	कुँवर रंजीत सिंह इण्टर कालेज, नगरिया परीक्षित, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 1480-89

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

१२

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
डॉ0 मनोज कुमार, सहायक अध्यापक	13/2/2021	युवराज दत्त इण्टर कालेज ओयल, लखीमपुर खीरी	बिष्णु इण्टर कालेज, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1490-99

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापत्रिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)

शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,

प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ ९३ /2024-2025 दिनांक 28, जून,2024  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता-भूगोल	31/8/2019	पंडित राम बली मिश्र श्री शोभाराम राष्ट्रीय इण्टर कालेज, चन्दीपुर सुल्तानपुर	आर0वी0एम0 इण्टर कालेज, तिलहर, शाहजहांपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 1500-09 /2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

  
(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

54

/2024-2025 दिनांक 29, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अनूप कुमार सक्सेना, सहायक अध्यापक	12/3/2022	जनता इण्टर कालेज, आवागढ़, एटा	श्री कृष्ण इण्टर कालेज, बदायूं	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।


पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1510-19

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

  
(रामचैत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

१५

/2024-2025 दिनांक 29, जून,2024

### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री संतोष कुमार, सहायक अध्यापक	06/1/2022	सुभाष इण्टर कालेज, तेरवा, दहिगवां, हरदोई	भारत इण्टर कालेज, भोजीपुरा, बरेली	रिक्त पद के प्रति


सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 1520-29

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानांतरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल



(रामचैत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

९६

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
कुमारी तारावती, सहायक अध्यापिका	25/11/2021	श्री लाल बहादुर शास्त्री इण्टर कालेज, साबितगढ़ बुलन्दशहर	श्री रघुवीर सहाय जौहरी आदर्श विद्यापीठ कन्या, उ०मा०वि० भूड़, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1530-39

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा०)उ०प्र०,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

  
(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०,  
प्रयागराज।



## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

57

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अनिल कुमार, सहायक अध्यापक	06/7/2017	हीरा लाल राम विलास इण्टर कालेज, खलीलाबाद, संतकबीरनगर	कुँवर रूकुम सिंह वैदिक इण्टर कालेज, नगला, पूर्वी, बदायूं	रिक्त पद के प्रति


सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 1540-49

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

  
(समचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

58

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सतेन्द्र कुमार, सहायक अध्यापक	01/12/2021	फौजदार इण्टर कालेज, मछली शहर, जौनपुर	महाराणा प्रताप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अहियापुर, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1550-59

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

९९

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सतेन्द्र पाल सिंह, सहायक अध्यापक	20/11/2021	समाज सेवक इण्टर कालेज, भैरवपुर, मऊ	चन्द्र शेखर आजाद इण्टर कालेज गैनी, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 1560-69

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापत्रिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

100

/2024-2025 दिनांक 29, जून,2024

### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री मुकेश कुमार, सहायक अध्यापक	01/8/2017	कामेश्वर इण्टर कालेज निवाड़ खास, मुरादाबाद	जे0पी0एन0 इण्टर कालेज नवाबगंज, बरेली	रिक्त पद के प्रति


सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 1570-79

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापत्रिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

  
(समचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

101

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सुनील कुमार, सहायक अध्यापक	17/5/2022	जनता इण्टर कालेज, भरावन, हरदोई	सरदार पटेल हिन्दू इण्टर कालेज, शाहजहांपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 1580-89

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)

शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,

प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

102

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अजय दीक्षित, सहायक अध्यापक	13/12/2021	लाल बहादुर शास्त्री शिक्षा निकेतन इण्टर कालेज, पिपरा, मदनगोपाल, देवरिया	श्री सुभाष इण्टर कालेज, आंवला, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 1590-99

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(सामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

103

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री चन्द्रपाल गंगवार, सहायक अध्यापक	24/2/2021	एल0बी0जे0पी0 इण्टर कालेज, तिलहर, शाहजहांपुर	श्री आदर्श शिक्षा निकेतन, उ0मा0वि0, गोपालपुर, अजीजपुर, बरेली	रिक्त पद के प्रति


सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 1600-09

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

  
(समचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

104

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विकास कुमार वर्मा, सहायक अध्यापक	12/1/2022	किसान सेवक इण्टर कालेज, नानौता, सहारनपुर	श्री सुभाष इण्टर कालेज, आंवला, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।


पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1610-19

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

  
(रामचैत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

105

/2024-2025 दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख रतम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
कु0 अनामिका सिंह, सहायक अध्यापिका	27/12/2021	रानी लक्ष्मी बाई कन्या विद्या मंदिर इण्टर कालेज, उन्नाव	आदर्श इण्टर कालेज निगोही, शाहजहांपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1620-29

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

  
(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

106

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती प्रीती देवी, सहायक अध्यापिका	08/12/2021	सेठ बाबूराम भारतीय इण्टर कालेज, पाली हरदोई	जनता इण्टर कालेज, शाहजहांपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1630-39

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

१०७

/2024-2025 दिनांक 29, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री गुड्डु सिंह, सहायक अध्यापक	12/8/2017	मूर्ति देवी सरस्वती इण्टर कालेज, नजीबाबाद बिजनौर	राष्ट्रीय इण्टर कालेज, गुलडिहा, बदायूँ।	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)

उत्तर प्रदेश।

/2024-2025, उसी तिथि को।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1640-49

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)

शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,

प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

108

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री योगेन्द्र कुमार, सहायक अध्यापक	18/12/2021	पी0एन0इण्टरमीडिएट कालेज, दूबे छपरा, बलिया	पटेल इण्टर कालेज, धौरा, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1650-59

/2024-2025, उसी तिथि को।


प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।  
2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।  
3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड फाइल

  
(समवेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

109

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री रामगोपाल, सहायक अध्यापक	18/11/2021	गांधी स्मारक इण्टर कालेज, दोघट, बागपत	आदर्श इण्टर कालेज निगोही, शाहजहांपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 1660-69

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।  
2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।  
3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड फाइल

(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)

शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,

प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

१०

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री देवेश कुमार गंगवार, सहायक अध्यापक	26/3/2019	महाराणा प्रताप इण्टरमीडिएट, कालेज, उतुरी, सुल्तानपुर	जिला परिषद उ0मा0वि0, देवकली, शाहजहांपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1670-75

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(समचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

111

/2024-2025 दिनांक 29, जून,2024

### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सत्यपाल, सहायक अध्यापक	29/12/2018	श्रीमती धर्मराजी देवी, गंगाप्रसाद सिंह, उ0मा0वि0, खुइरी, सोतीपुर, जौनपुर	कुंवर ढाकन लाल, इण्टर कालेज, सहोड़ा, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 1680-89

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामधेवत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

112

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री गौरव कुमार, सहायक अध्यापक	11/7/2017	जिला पंचायत इण्टर कालेज, कालाआम, लखीमपुर खीरी	एस0वी0इण्टर कालेज, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1690-99

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

113

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री रिषि देव, सहायक अध्यापक	01/12/2021	अखण्ड इण्टर कालेज, कबरई, महोबा	राष्ट्रीय इण्टर कालेज, गुलडिहा, बदायूं।	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1700-09

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

114

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
कु0 करिश्मा, सहायक अध्यापिका	04/8/2020	कस्तूरबा बालिका इण्टर कालेज, अर्दली बाजार, वाराणसी	कुंवर ढाकन लाल, इण्टर कालेज, सहोड़ा, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1710-19

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

115

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विनय कुमार सिंह चौहान, सहायक अध्यापक	01/12/2021	गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक इण्टर कालेज, महाराजगंज	श्री कृष्ण इण्टर कालेज, बदायूं	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 1720-29

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

350

/2024-2025 दिनांक 28 जून,2024

### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अमर सिंह, सहायक अध्यापक	23/7/2019	श्री वंशगोपाल इण्टर कालेज, रसूलपुर,लदिगवां, फतेहपुर	कुंवर रणजीत सिंह इण्टर कालेज, नगरिया, परीक्षित, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।


पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

4073-82

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0.शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

  
(रामचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

116

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री हरीश कुमार, सहायक अध्यापक	25/11/2021	जिला परिषद इण्टर कालेज, पाली, ललितपुर	सरदार बल्लभ भाई पटेल इण्टर कालेज, अमृता खास, पीलीभीत	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1730-39

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- गार्ड फाइल

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

117

/2024-2025 दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती रेखा अग्रवाल, सहायक अध्यापिका	25/6/2024	केदार नाथ महिला इण्टर कालेज, बदायूं	विष्णु इण्टर कालेज, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1740-49

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

118

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती मोहनी राज, सहायक अध्यापिका	10/5/2022	कन्या विद्यापीठ इण्टर कालेज, कायमगंज, फर्रुखाबाद	कुंवर रणजीत सिंह इण्टर कालेज, नगरिया, परीक्षित बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।


पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1750-55

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

  
(समवेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

119

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अमित कुमार यादव, सहायक अध्यापक	25/6/2024	लवकुश उ0मा0वि0, प्रयागराज	आदर्श इण्टर कालेज निगोही, शाहजहांपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।


पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1760-69

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

  
(समवेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

120

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राजेश सिंह, प्रवक्ता-कृषि	03/9/2020	राणा शिक्षा शिविर इण्टर कालेज, धोलौना, हापुड़	काकोरी शहीद इण्टर कालेज, जलालाबाद, शाहजहांपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 1770-79 /2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

121

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
कु0 अनीता देवी, सहायक अध्यापिका	02/2/2021	राष्ट्रीय कृषि व उद्योग इण्टर कालेज, सिरौली, बरेली	आर्य कन्या उ0मा0वि0 पीलीभीत	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांक संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1780-89

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)

शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,

प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

122

/2024-2025 दिनांक 29, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती किरन, सहायक अध्यापिका	31/8/2019	चन्द्रशेखर आजाद इण्टर कालेज, गैनी, बरेली	कुंवर रणजीत सिंह इण्टर कालेज, नगरिया, परीक्षित, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।


पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1790-99

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- गार्ड फाइल

  
(रामचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

123

/2024-2025 दिनांक 29, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री आसिफ अली, सहायक अध्यापक	15/2/2021	तिलक इण्टर कालेज, बासी, सिद्धार्थनगर	गंगादीन इण्टर कालेज, नवीगंज, बदायूं	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।


पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1800-09

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

  
(समचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

124

/2024-2025 दिनांक 29, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अनिल कुमार, सहायक अध्यापक	25/2/2021	पब्लिक इण्टर कालेज, लखीमपुर, खीरी	मौलाना आजाद इण्टर कालेज, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 1810-19

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड फाइल

(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)

शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,

प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

125

/2024-2025 दिनांक 29, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अवनि पाल, सहायक अध्यापक	17/5/2017	भारती इण्टर कालेज, एटा	जे0पी0एन0 इण्टर कालेज नवाबगंज, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1820-29

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

  
(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

126

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री बदन सिंह, सहायक अध्यापक	20/7/2017	पब्लिक इण्टर कालेज, श्याना, बुलन्दशहर	नगर पालिका इण्टर कालेज, ककराला, बदायूं	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1830-35

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)

शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,

प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

127

/2024-2025 दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री वीरेन्द्र कुमार, सहायक अध्यापक	25/6/2024	सर्वहितकारी, इण्टर कालेज, मसवासी, रामपुर	सनातन धर्म बांके बिहारी, इण्टर कालेज, पीलीभीत	रिक्त पद के प्रति


सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 1840-49

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापत्रिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

  
(रामचैत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

128

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राम अवतार, सहायक अध्यापक	15/2/2021	दुर्गा प्रसाद इण्टर कालेज, खसौरा, हरदोई	एस0आर0एम0 इण्टर कालेज, बीसलपुर, पीलीभीत	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1850-59

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

129

/2024-2025 दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राजीव गुप्ता, सहायक अध्यापक	01/8/2019	नेता जी सुभाष इण्टर कालेज, राठौडा, रामपुर	श्री गुलाबराय इण्टर कालेज, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)

उत्तर प्रदेश।

/2024-2025, उसी तिथि को।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 1860-69

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)

शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,

प्रयागराज।

**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज**

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

130

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सुरेन्द्र कुमार, सहायक अध्यापक	18/4/2022	राष्ट्रीय इण्टर कालेज, महेरेव, पुरेब, जौनपुर	सरदार बल्लभ भाई पटेल इण्टर कालेज, अमृताखास, बीसलपुर, पीलीभीत	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 1870-79

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

  
(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

131

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सुमित सिंह चौहान, सहायक अध्यापक	20/5/2017	कामेश्वर इण्टर कालेज निवाड़ खास, मुरादाबाद	लाजपतराय इण्टर कालेज, शेरगढ़, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1880-89

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल



(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

132

/2024-2025 दिनांक 29, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री ओमकार सिंह, सहायक अध्यापक	07/8/2020	पब्लिक इण्टर कालेज, जौलीगढ़, बुलन्दशहर	महाराणा प्रताप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अहियापुर, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1890-99

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

133

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री चन्द्र विजय, सहायक अध्यापक	20/2/2021	शहीदे आज़म भगत सिंह, उ०मा०वि०, बजहा बाजार, सिद्धार्थनगर	लाजपतराय इण्टर कालेज, शेरगढ़, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1900-09

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा०)उ०प्र०,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)

शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०,

प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

134

/2024-2025 दिनांक 29, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती सोनल, सहायक अध्यापिका	01/12/2021	चावली देवी आर्य कन्या इण्टर कालेज, ब्रम्हपुरी, मेरठ	श्री कृष्ण इण्टर कालेज, बदायूं	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांक संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1910-19

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)

शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

135

/2024-2025 दिनांक 29, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
कु0 ज्योति गंगवार, सहायक अध्यापिका	03/12/2021	वैदिक कन्या इण्टर कालेज, चांदपुर, बिजनौर	सी0एड0ज0 उ0मा0वि0 कली, नगर, पीलीभीत	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांक संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1920-29

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

136

/2024-2025 दिनांक 28 जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अनुज कुमार सिंह, सहायक अध्यापक	22/4/2022	जनता उ0मा0वि0, बैकुण्ठपुर, देवरिया	मनोहर भूषण इण्टर कालेज, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1930-39

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)

शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,

प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

137

/2024-2025 दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अभिषेक शर्मा, सहायक अध्यापक	13/12/2021	सरस्वती इण्टर कालेज, हाथरस	श्री कृष्ण इण्टर कालेज, बदायूं	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांक संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1940-43

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)

शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,

प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

138

/2024-2025 दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती रेनु बाजपेयी, सहायक अध्यापिका	25/2/2021	हामिद अली इण्टर कालेज, पिहानी, हरदोई	पं० देवदत्त शर्मा, जनता इण्टर कालेज, बड़खेड़ा, पीलीभीत	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 1950-59

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा०)उ०प्र०,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)

शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०,

प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

139

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशाराकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अशोक कुमार शर्मा, सहायक अध्यापक	23/1/2010	राम भरोसे मैकूलाल इण्टर कालेज, तेलीबाग, लखनऊ	गांधी इण्टर कालेज, शाही, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1960-69

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

  
(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

140

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री मुकेश कुमार त्रिपाठी, सहायक अध्यापक	10/8/2020	श्री महादेव शुक्ल कृषक इण्टर कालेज, गौर, बस्ती	विष्णु इण्टर कालेज, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1970-79

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)

शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,

प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

351

/2024-2025 दिनांक 28 जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अवधेश शुक्ला, सहायक अध्यापक	01/7/2017	जनता इण्टर कालेज, रशीदाबाद, तिवारियान, कायमगंज, फर्रुखाबाद	सरदार पटेल हिन्दू इण्टर कालेज, शाहजहांपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

4083-92

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल



(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

151

/2024-2025 दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री धीरज कुमार, सहायक अध्यापक	17/8/2020	पार्वती राष्ट्रीय इण्टर कालेज, सिद्धपुर, कासगंज	सतीशचन्द्र उ0मा0वि0, पड़ेरा, कादरगंज, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1580-85

/2024-2025, उरसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(समर्पित)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

142

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती संगीता रानी, सहायक अध्यापिका	06/12/2021	पांचाल प्रदेश उ0मा0वि0, रेवती आंवला, बरेली	श्री आदर्श शिक्षा निकेतन, उ0मा0वि0, गोपालपुर, अजीजपुर, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

1990-99

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल



(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज**

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

143

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती रश्मि चौहान, सहायक अध्यापिका	28/12/2021	पी0डी0 इण्टर कालेज, गायघाट, बलिया	साहू गोपी नाथ कन्या इण्टर कालेज, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

2000-09

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्पापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

  
(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 144 /2024-2025 दिनांक 29, जून, 2024 .  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री हरीश कुमार राठौर, प्रवक्ता-भूगोल	31/7/2020	सनातन धर्म इण्टर कालेज, हसनपुर, मैनपुरी	काकोरी शहीद इण्टर कालेज, जलालाबाद, शाहजहांपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 2010-19 /2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड फाइल

  
(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

145

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री संजय बाबू शक्ला, सहायक अध्यापक	04/5/2022	विश्वबन्धु शिक्षा निकेतन, इण्टर कालेज, साण्डी, हरदोई	देवीप्रसाद इण्टर कालेज, शाहजहांपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

2020-29

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

146

/2024-2025 दिनांक 29, जून, 2024

## स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती आरती शर्मा, सहायक अध्यापिका	19/2/2021	आर्य कन्या इण्टर कालेज, गुलावठी, बुलन्दशहर	शाहू गोपीनाथ कन्या इण्टर कालेज, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

2030-39

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

147

/2024-2025 दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
सुश्री कंचन कश्यप, सहायक अध्यापिका	01/12/2021	लगसमा विद्या निकेतन इण्टर कालेज, मुरवार, अलीगढ़	पुरुषोत्तम आदर्श कन्या इण्टर कालेज, जलालाबाद शाहजहांपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी

अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

2040-49

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)

शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

148

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
मो0 असद कादरी, सहायक अध्यापक	13/12/2021	जन कल्याण इण्टर कालेज, दतावली, अलीगढ़	काकोरी शहीद इण्टर कालेज, जलालाबाद, शाहजहांपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांक संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 2050-59

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानांतरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

149

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

## स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री जगमोहन आर्या, सहायक अध्यापक	03/10/2023	महन्त लाल दास इण्टर कालेज, देवगांव, अयोध्या	श्री कृष्ण इण्टर कालेज, बदायूं	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 2060-69

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

  
(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 150

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती सुमनतारा, सहायक अध्यापिका	14/1/2017	किसान इण्टर कालेज, हॉसेमऊ, कानपुर देहात	मौलाना आजाद इण्टर कालेज, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 2070-79

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजीका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

151

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

## स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री कृष्णपाल, सहायक अध्यापक	26/6/2024	आदर्श इण्टर कालेज, मिटठौली, मथुरा	बिष्णु इण्टर कालेज, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 2080-89

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापत्रिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

152

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री नीरज कुमार, सहायक अध्यापक	22/11/2021	एस0आर0एम0 इण्टर कालेज, बीसलपुर, पीलीभीत	छत्रपति शिवाजी इण्टर कालेज, फरीदपुर, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

2050-99

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

  
(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

153

/2024-2025 दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राकेश कुमार वर्मा, सहायक अध्यापक	08/12/2021	श्री महामना मदन मोहन मालवीय गुढ़ा, ललितपुर	काकोरी शहीद इण्टर कालेज, जलालाबाद, शाहजहांपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 2100-09

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 154

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती सीमा यादव, सहायक अध्यापिका	14/12/2021	आदर्श इण्टर कालेज, नरही, बलिया	कुँवर रंजीत सिंह इण्टर कालेज, नगरिया परीक्षित, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 2110-19

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

  
(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

155

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती प्रियंका, सहायक अध्यापिका	03/3/2021	श्री दयानन्द रामेश्वर प्रसाद हंसरानी आर्य कन्या इण्टर कालेज, सीतापुर	राष्ट्रीय कृषि एवं उद्योग इण्टर कालेज, सिरौली, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

2120-25

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

156

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री कृष्ण देव, सहायक अध्यापक	20/5/2017	गंगादीन इण्टर कालेज, गूरा, नवीगंज, बदायूं	एस0आर0एम0 इण्टर कालेज, बीसलपुर, पीलीभीत	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

2130-39

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानांतरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अप्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानांतरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानांतरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

157

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री मुरारी लाल, सहायक अध्यापक	07/12/2018	सर्व हितैषी इण्टर कालेज, मसीदा, जौनपुर	दरबारी लाल शर्मा इण्टर कालेज, रिठौरा, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

2140-49

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजीका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

  
(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

158

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अमित कुमार गोयल, सहायक अध्यापक	10/1/2019	नेहरू इण्टर कालेज, मंसाछापर, कुशीनगर	मनोहर भूषण इण्टर कालेज, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

2150-59

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

159

/2024-2025 दिनांक 28, जून,2024

### स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती राजकुमारी पाल, सहायक अध्यापिका	26/11/2021	नगरपालिका इण्टर कालेज, अतरौली, अलीगढ़	नगर पालिका अशर्फी देवी कन्या इण्टर कालेज, उझानी-बदायूं	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

2160-69

/2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।
- 6- गार्ड फाइल

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)द्वितीय/ 160 /2024-25 दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती निशा गुप्ता, स0अ0-विज्ञान	01.04.2017	प्रभा देवी आदर्श कन्या इण्टर कालेज मुरादाबाद	साहू गोपीनाथ कन्या इण्टर कालेज बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)द्वितीय/

2170-79

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)द्वितीय/ 181 /2024-25 दिनांक 28, जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री चंचल सिंह, स0अ0-जीव विज्ञान	16.12.2021	श्री सरस्वती इण्टर कालेज तीतरों सहारनपुर	चन्द्रशेखर आजाद इण्टर कालेज गैनी बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)द्वितीय/ 2180-89

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजीका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)द्वितीय/ 162 /2024-25 दिनांक 28, जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अनूप शर्मा, स0अ0-विज्ञान	03.11.2021	गांधी स्मारक इण्टर कालेज चकाथल अलीगढ़	काकोरी शहीद इण्टर कालेज जलालाबाद शाहजहाँपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)द्वितीय/ 2190-99 /2024-25 तददिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**  
आदेश संख्या:सामान्य(1)द्वितीय/ 163 /2024-25 दिनांक 28, जून, 2024  
**स्थानान्तरण आदेश**


उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री योगेन्द्र नारायण शुक्ला, स0अ0-गणित	10.10.2020	श्री लाल बहादु शास्त्री स्मारक इ0का0 गोला लखीमपुर खीरी	जनता इण्टर कालेज शाहजहाँपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)द्वितीय/ 2200-09 /2024-25 तददिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(समचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 164 /2024-2025 दिनांक 28, जून,2024  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
सुश्री सुप्रिया अग्रवाल, सहायक अध्यापिका	01/12/2021	श्री दधिवल इण्टर कालेज, रैनी मऊ	स्त्री सुधार कन्या इण्टर कालेज, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 2210-19 /2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड फाइल

(रामचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

## कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 165 /2024-2025 दिनांक 28, जून, 2024  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री जसवंत सिंह, सहायक अध्यापक	01/12/2021	गांधी स्मारक सुन्दर लाल इण्टर कालेज, बिलसण्डा, पीलीभीत	सी0बी0गंज, इण्टर कालेज, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/2220-29 /2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड फाइल

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 166 /2024-2025 दिनांक 28, जून,2024  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री हरपाल सिंह सागर, सहायक अध्यापक	10/10/2011	आर्य विद्यालय इण्टर कालेज, मिलख रामपुर	सी0बी0गंज, इण्टर कालेज, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 2230-39 /2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड फाइल

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



# कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/

167

/2024-2025 दिनांक 28 जून,2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून,2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/ पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री दिनेश कुमार, सहायक अध्यापक, जीव विज्ञान	24/12/2021	श्री सर्वहितकारी इण्टर कालेज, औरंगाबाद, बुलन्दशहर	धनीराम इण्टर कालेज, दमखोदा, बरेली	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 2240-45 /2024-2025, उसी तिथि को।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरन्त दी जाये। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वह इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3- सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने के साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से कराए जाने के उपरांत सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरांत ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- सम्बन्धित प्रबन्धक/ प्रधानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान/अध्यापक।

6- गार्ड फाइल

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/ 421 /2024-25 दिनांक 30.6.2024

विज्ञप्ति/आदेश

निदेशालय के आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/352/2024-25 दिनांक 28.06.2024 एवं पृष्ठांकन संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/4093-4102/2024-25 तददिनांक द्वारा श्रीमती मनोरमा रानी, प्रधानाचार्या, तिवारी ज्वाला प्रसाद आर्य कन्या इण्टर कालेज इटावा का एकल स्थानान्तरण मौलाना आजाद इण्टर कालेज बरेली में किया गया, जिसे निदेशालय के आदेश संख्या-सामान्य(1)द्वितीय/415/2024-25 दिनांक 30.06.2024 द्वारा स्थगित किया गया था।


उक्त स्थगन आदेश दिनांक 30.06.2024 को तत्काल प्रभाव से शून्य घोषित किया जाता है।

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या: सामान्य(1)द्वितीय/ 4785-94 / 2024-25, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, -

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(मा0)उ०प्र०, शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़ लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कानपुर/बरेली
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, इटावा/बरेली।
- 4- जिला विद्यालय निरीक्षक, बागपत।
- 5- प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, तिवारी ज्वाला प्रसाद आर्य कन्या इण्टर कालेज इटावा
- 6- प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, मौलाना आजाद इण्टर कालेज बरेली
- 7- गार्ड पत्रावली।

  
( रामचैत ),  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3).  
शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज।